# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सांचौर, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी :– प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)

मुकदमा संख्या :– 04/2025

जी.सी.एम.एस. नंबर :– 2025/9

| प्रार्थी | अप्रार्थीगण |
| --- | --- |
| 1 भीखाराम पुत्र महादेवाराम, जाति–कलबी, निवासी–जाजूसन, तह–सांचौर | ईश्वरलाल पुत्र चतराराम वगैरह |

## प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

**तारीख रजु :– 14.01.2025**

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सगताराम चौधरी उपस्थित।
2. अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 7 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री फुसाराम प्रजापत उपस्थित।
3. अप्रार्थीगण संख्या 8 (ए, बी, सी, डी, ई, एफ) की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री जालाराम पूनिया उपस्थित।
4. अप्रार्थीगण संख्या 9 व 10 बावजूद तामील (सूचना) के अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही।

:– निर्णय :–

दिनांक :– 25.05.2026

संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि सरहद मौजा जाजूसन के खेत खसरा नंबर 28 रकबा 3.95 हैक्टेयर, खसरा नंबर 28/382 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 49 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नंबर 50 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 51/385 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 550/51 रकबा 0.8947 हैक्टेयर, खसरा नंबर 551/51 रकबा 0.19 हैक्टेयर, खसरा नंबर 48 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 47 रकबा 3.00 हैक्टेयर, खसरा नंबर 339 रकबा 1.83 हैक्टेयर, खसरा नंबर 554/61 रकबा 0.09 हैक्टेयर, खसरा नंबर 62 रकबा 1.62 हैक्टेयर, खसरा नंबर 656/503 रकबा 0.9287 हैक्टेयर कुल रकबा 12.5734 हैक्टैयर के आये हुए है जो पुराने खसरा नंबर 18, 9, 134 से नवसृजित हुए है जो प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 की पैतृक संपति की आराजी है जिसमें 1/3 हिस्सा प्रार्थी का 1/3 हिस्सा अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 7 का एवं 1/3 हिस्सा अप्रार्थी संख्या 8 का जो प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण का पैतृक हकों का है जिसके मूल खातेदार के पिता व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 के दादा महादेवा पुत्र हीरा थे उनके फौत होने पर प्रार्थी व अप्रार्थीगण के नाम इन्द्राज किया गया। नकल प्रथम खतौनी बंदोबस्त वाद पत्र के साथ पेश है। वादग्रस्त आराजी प्रार्थी व अप्रार्थीगण की पैतृक हकों की होने से प्रार्थी का 1/3 हिस्सा वैधानिक हकों का होने से प्रथम दृष्टि में केस प्रार्थी के पक्ष में तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

है लेकिन अप्रार्थीगण अपने नाम हुए विधिविरूद्व इन्द्राज के आधार पर प्रार्थी को बेदखल कर दिया तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी, जिसका आंकलन अंकों में नहीं पायेगा ऐसी सूरत में अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने न्यायसंगत है। अतः प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि सरहद मौजा जाजूसन में खेत खसर नंबर 28 रकबा 3.95 हैक्टेयर, खसरा नंबर 28/382 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 49 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नंबर 50 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 51/385 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 550/51 रकबा 0.8947 हैक्टेयर, खसरा नंबर 551/51 रकबा 0.19 हैक्टेयर, खसरा नंबर 48 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 47 रकबा 3.00 हैक्टेयर, खसरा नंबर 339 रकबा 1.83 हैक्टेयर, खसरा नंबर 554/61 रकबा 0.09 हैक्टेयर, खसरा नंबर 62 रकबा 1.62 हैक्टेयर, खसरा नंबर 656/503 रकबा 0.9287 हैक्टेयर कुल रकबा 12.5734 हैक्टैयर में वादी के कब्जा काश्त में प्रतिवादीगण किसी प्रकार की कोई दखलंदाजी नहीं करें तथा न ही उक्त आराजी का बैचान, रहन या अन्य प्रकार से हस्तांतरण वगैरह करें तथा वाद के अंतिम निस्तारण तक राजस्व रेकर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें

हमनें अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का भली भांति अध्ययन व अवलोकन किया गया अतः प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत नहीं होने से प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

**:– आदेश :–**

अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पूर्णतयाः साबित नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से एक कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रमोद कुमार, **आर.ए.एस**)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सांचौर

सहायक कलक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

निर्णय आज दिनांक **25.05.2026** को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सांचौर

सहायक कलक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)